



**2017-2018**

**कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने हेतु रियायती दर पर स्थायी पंप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु मुख्य मंत्री स्थायी पंप कनेक्शन योजना एवं फ्लेट रेट योजना का लाभ उठायें**

- कृषक स्थायी पम्प कनेक्शन प्राप्त कर, प्रति वर्ष अस्थायी पम्प कनेक्शन प्राप्त करने की परेशानियों से बचें । अंश राशि जमा करने पर अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए पृथक से इनर्जी चार्ज की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- वर्ष 2017-18 में लघु एवं सीमान्त अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषक (2 हेक्टेयर से कम भूमि धारक) केवल 5500 रु. प्रति हार्स पावर तथा अन्य कृषक 7500 रु. तथा 02 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि धारक कृषक को 12000 रु. प्रति हार्स पावर की दर से अंश राशि जमा कर स्थायी पंप कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं ।
- 1 हेक्टेयर वाले अनुसूचित जाति एवं जन जाति कृषकों को 5 हार्स पावर तक मुफ्त बिजली एवं अन्य कृषकों द्वारा साल भर बिजली का 1400 रु. प्रति हार्स पावर का बिल का भुगतान की सुविधा ।
- समीपवर्ती खेतों के लिए एक ही अधोसंरचना एवं वितरण ट्रांसफार्मर से यदि एक से अधिक परन्तु अधिकतम तीन किसान, स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु एक साथ संयुक्त आवेदन करते हैं, तो इन सभी किसानों से अलग-अलग अंश राशि लेने के स्थान पर इन किसानों में से अधिकतम क्षमता के आवेदन पर प्रति हार्सपावर के आधार से अंशराशि ली जावेगी, जिसका विभाजन इन आवेदकों के मध्य उनकी पंप क्षमता के आधार पर अनुपातिक रूप से लिया जावेगा ।
- मुख्य मंत्री स्थायी कृषि पंप योजना अन्तर्गत किसान अपना आवेदन स्मार्ट बिजली मोबाईल एप के माध्यम से भी कर सकते हैं। आवेदन के साथ कृषक अपनी अंश राशि , जमीन संबंधित प्रमाण पत्र / दस्तावेज जमा करने पर लाईन विस्तार के कार्य हेतु कृषक द्वारा ठेकेदार का चयन स्वयं कर वर्तमान में अधिकतम 180 दिवस के अंदर स्थायी कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं ।

**अधिक जानकारी हेतु निकटस्थ विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में संपर्क करें एवं अपना स्थायी पम्प कनेक्शन प्राप्त करें ।**

सम्पर्क दूरभाष: ..... मोबाईल नंबर .....



रियायती दर पर स्थायी पंप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु मुख्य मंत्री स्थायी पंप कनेक्शन योजना एवं फ्लेट रेट योजना का लाभ उठायें

“मुख्य मंत्री स्थायी कृषि पंप योजना” का लाभ ले :-

- साल भर बिजली का 1400 रु. प्रति हार्सपावर का बिल।
- एक हेक्टेयर वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसान को 5 हार्सपावर तक मुफ्त बिजली।
- ठेकेदार का चयन आप करें।
- तीन किसान समूह में आवेदन करें अंशराशि 1/3।
- स्थायी पंप का आवेदन करने पर फ्लेट रेट लागू।